दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 27-07-2025

मिशन हास्पिटल कैंपस खाली करने हाईकोर्ट ने दी 30 दिन की मोहलत

48 घंटे में बेदखली का था नोटिस, 17 ने लगाई थी याचिका

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट ने मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन की लीज रिन्यूअल याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही और वैधानिक ठहराया।

मिशन हॉस्पिटल कैंपस में रहने वाले 17 परिवारों को तहसीलदार ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जमीन खाली करने को कहा था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए 30 दिनों की मोहलत दी है। इसके बाद परिसर नहीं खाली करने पर कार्रवाई की छूट दी गई है।

मिशन हॉस्पिटल कैंपस निवासी शांति दानी, अमिता मसीह, शाहिद हुसैन, विनीत मसीह, शांता ब्राउन, अरशद हुसैन समेत अन्य को तहसीलदार नजूल ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जमीन खाली करने को कहा था, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कहा कि वे लंबे समय से रह रहे हैं। नियमित रूप से बिजली बिल, टैक्स आदि का भुगतान कर रहे हैं। उनका कहना था कि तहसीलदार ने बिना सुनवाई और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अधिकार से बाहर जाकर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन मानवीय आधार पर याचिकाकर्ताओं को 30 दिन का समय देते हुए कहा कि वे इस अवधि के भीतर परिसर खाली करें। याचिकाकर्ताओं के पास एसडीएम के समक्ष अपील का विकल्प उपलब्ध है। इसलिए इस स्तर पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं। लेकिन, बरसात के मौसम को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 दिन की मोहलत दी।